निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 49/दावा/2020 तारीख दायरा 17.03.2020

उनवान

1. सालगा पिता मांगीलाल जाति तंवर निवासी बामलाबेह तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड(राज.)

—वादी

बनाम

1. प्रभूलाल पिता देवीलाल जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़
2. बीरम पिता देवीलाल जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
3. भागचन्द पिता भंवरलाल जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

—प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थित वकील वादी —श्री राजेश कुमार वर्मा

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 241 पुरानी 212 की खसरा नम्बर 214 की 7 बीघा 8 बिस्वा, 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 9 बीघा 16 बिस्वा आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते की दर्ज है वर्णित आराजी में से खसरा नं0 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा में से मेरे हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अर्सा 6 माह पूर्व जबरन बललपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है वर्णित आराजी में से खसरा नं0 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा आराजी मे से मेरे हिस्से आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया है जिनका कि उनको कई कानूनी हक एवं अधिकार भी नही है और ना ही प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 का नाम जमाबन्दी में नाम दर्ज है। फिर भी प्रतिवादीगण उक्त मेरे हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा किये हुये हैं वर्णित आराजी में खसरा नं0 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा आराजी मे से मेरे हिस्से की आराजी पर से मुझ वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा छोडने बाबत् कईबार कहा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई सुनवांई नही कि गई अन्तिम बार दिनांक 5/3/2020 को प्रतिवादीगण से कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा छोडने से साफ इन्कार हो जाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 3 को उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 215 की 2.08 बीघा मे से वादी के

हिस्से की आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बावत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 241 पुरानी 212 की खसरा नम्बर 214 की 7 बीघा 8 बिस्वा, 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 9 बीघा 16 बिस्वा आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते की दर्ज है वर्णित आराजी में से खसरा नं0 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा में से मेरे हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने अर्सा 6 माह पूर्व जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है वर्णित आराजी में से खसरा नं0 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा आराजी मे से मेरे हिस्से आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बलपूर्वक कब्जा कर लिया है अतः प्रतिवादीगण 1 ता 3 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम बामलादेह संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या नया 241, पुराना 212 पेश किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 241 पुरानी 212 की खसरा नम्बर 214 की 7 बीघा 8 बिस्वा, 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 9 बीघा 16 बिस्वा आराजी में से खसरा नं0 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा में से वादी के हिस्से की आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 ता 3 को बेदखल किया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/202

प्रकरण सख्या 49/दावा/2020 तारीख दायरा 17.03.2020

उनवान

1. सालगा पिता मांगीलाल जाति तंवर निवासी बामलाबेह तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड(राज.)

–वादी

बनाम

1. प्रभूलाल पिता देवीलाल जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़
2. वीरम पिता देवीलाल जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
3. भागचन्द पिता भंवरलाल जाति तंवर निवासी गणेशपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

–प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री राजेश कुमार वर्मा मिन जानिब मुद्दालय ——————— ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 241 पुरानी 212 की खसरा नम्बर 214 की 7 बीघा 8 बिस्वा, 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 9 बीघा 16 बिस्वा आराजी में से खसरा नं0 215 की 2 बीघा 8 बिस्वा में से वादी के हिस्से की आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 ता 3 को वेदखल किया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना